



सेवा में,



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।
विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी 57.00 के टी02 (ओडी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 किमी0) के निर्माण हेतु 5.659 है0 वनभूमि (Online Proposal No. (FP/UK/ROAD/11141/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/87/2016/एफ0सी0/283, दिनांक 31.05.2023, आपका पत्रांक- 157/FP/UK/ROAD/11139 दिनांक 25.07.2023।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के कम में प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0 वन प्रभाग लैन्सडौन द्वारा अपने पत्रांक- 2885/12-1 दिनांक-08/08/2023 से बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रस्तुत की है:-

क्र0	आपत्ति	निस्तारण
1	The area under violation is required to be assessed and detailed report of DFO along with all the details is requested to be submitted	भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन आयोजित FRCM की बैठक एवं पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/87/2016/एफ0सी0/971 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अधिकारियों के साथ दिनांक 13.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया था। (निरीक्षण आख्या संलग्न) संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी चैलूसेण रेंज श्री इन्द्रमोहन कोठारी, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार मंगगाई अधिशासी अभियन्ता, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता, आदि अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 10 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (संलग्न फोटोग्राफ)। तत्समय 01 डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (संलग्न फोटोग्राफ)। चूंकि मोटर मार्ग पर कटिंग का कार्य दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। तथा जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है।
2	The information regarding the action taken by the forest department under the IFA 1927 is also required to be submitted	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि "उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी के साथ दिनांक 13.02.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927/1980 के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है।"

यह भी अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में भारत सरकार से दिनांक 17.12.2018 को सैदान्तिक स्वीकृत प्राप्त हुई हुई है अतः उपरोक्तानुसार विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
Signed by Rajiv Dhiman

Date: 21-08-2023 16:47:43

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक:- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0-सिंचाई खण्ड कोटद्वार

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

o/c



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक:- 2885/12-1 ,दिनांक, लैन्सडौन, 08, 08, 2023



सेवा में

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी0 57.00 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के निर्माण हेतु 5.659 है0 (वनभूमि Online Proposal No. (FP/UK/ROAD/11141/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/87/2016/एफ0सी0/283, दिनांक 31.05.2023, आपकी फाईल सं0 लीज-12-101/20/2023-2 VM-FOREST DEPT (COMPUTER NO 2436) DATE 14-07-2023, इस कार्यालय के पत्रांक 2731/12-1 दिनांक कोटद्वार 24.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 2 बिन्दुओं पर आपत्तियाँ लगायी गयी थी। जिसका निस्तारण तत्समय ही इस कार्यालय के पत्रांक 2731/12-1 दिनांक कोटद्वार 24.06.2023 द्वारा आपको प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 157/(FP/UK/ROAD/11141/2015) देहरादून दिनांक 25 जुलाई 2023 के द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है, कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 2 बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रश्न-उत्तर दिया जायें।

अतः भारत सरकार के द्वारा पूर्व में दिनांक 31.05.2023 के द्वारा 2 बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण कर आख्या पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र.सं.	आपत्ति	निस्तारण
1	The area under violation is required to be assessed and detailed report of DFO along with all the details is requested to be submitted	भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन आयोजित FRCM की बैठक एवं पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/87/2016/एफ0सी0/971 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अधिकारियों के साथ दिनांक 13.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया था। (निरीक्षण आख्या संलग्न) संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज श्री इन्द्रमोहन कोठारी, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार मंगगाई अधिशासी अभियन्ता, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता, आदि अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 10 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (संलग्न फोटोग्राफ)। तत्समय 01 डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (संलग्न फोटोग्राफ)। चूंकि मोटर मार्ग पर कटिंग का कार्य दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। तथा जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है।

2	The information regarding the action taken by the forest department under the IFA 1927 is also required to be submitted	उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी के साथ दिनांक 13.02.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927 / 1980 के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है।
---	---	---

साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार से दिनांक 17.12.2018 को सैदान्तिक स्वीकृत प्राप्त हुई है।

संलग्न:- 1. संदर्भित पत्र की छायाप्रति -2 प्रतियों में।
2. उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,

लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक 2885/12-1 / दिनांकित ।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक 157 / (FP/UK/ROAD/11139/2015) देहरादून दिनांक 25 जुलाई 2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0-सिंचाई खण्ड कोटद्वार को उनके पत्रांक 492 / पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0 कोटद्वार दिनांक 22.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,

लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

o/c

पत्रांक:- 670/पी0एम0जी0एस0वाई0-सिंचाई खण्ड/कोटद्वार
सेवा में,

दिनांक 07/08/2023

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग,
लैन्सडौन।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी0 57.00 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के निर्माण हेतु 5.659 है0 (वनभूमि Online Proposal No. (FP/UK/ROAD/11141/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/87/2016/एफ0सी0/283, दिनांक 31.05.2023, वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून फाईल सं0 लीज-12-101/20/2023-2 VM-FOREST DEPT (COMPUTER NO 2436) DATE 14-07-2023, प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन के पत्रांक 2731/12-1 दिनांक कोटद्वार 24.06.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 492/पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0 कोटद्वार दिनांक 22.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 2 बिन्दुओं पर आपत्तियाँ लगायी गयी थी। जिसका निस्तारण तत्समय ही इस कार्यालय, आपके प्रभाग व वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 157/(FP/UK/ROAD/11141/2015) देहरादून दिनांक 25 जुलाई 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 2 बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रश्न-उत्तर दिया जायें।

अतः भारत सरकार के द्वारा पूर्व में दिनांक 31.05.2023 के द्वारा 2 बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण कर पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निस्तारण
1	The area under violation is required to be assessed and detailed report of DFO along with all the details is requested to be submitted	भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन आयोजित FRCM की बैठक एवं पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/87/2016/एफ0सी0/971 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में याचक विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) एवं वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिनांक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित टी02 (ओ0डी0आर0) के किमी0 57.00 से मंजोखी मोटर मार्ग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। (निरीक्षण आख्या संलग्न) संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से श्री दिनकर तेवाडी प्रभागीय वनाधिकारी, श्री इन्द्रमोहन कोठारी वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार मंमगाई अधिशाली अभियन्ता, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता, आदि अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग

		पर 10 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (सलंगन फोटोग्राफ)। तत्समय 01 डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (सलंगन फोटोग्राफ)। चूंकि मोटर मार्ग पर स्टेज-1/कटिंग का कार्य दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। तथा जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है।
2	The information regarding the action taken by the forest department under the IFA 1927 is also required to be submitted	संयुक्त निरीक्षण दिनांक 13.02.2023 के दौरान पाया गया कि निर्माण एजेंन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927/1980 के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है।

साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैधान्तिक स्वीकृत को 5 वर्ष भी शीघ्र पूर्ण होने वाले, जिससे विधिवत् स्वीकृति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना अति आवश्यक है।

सलंगन:- 1. संदर्भित पत्र की छायाप्रति।
2. उपरोक्तानुसार

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

पत्रांक 670 / पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड/कोटद्वार तददिनांक
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 1.- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी गढवाल।
4. सहायक अभियन्ता प्रथम पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार गढवाल।

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी 0 57.00 के टी 02 (ओ 0 डी 0 आर 0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि 0 मी 0) के निर्माण हेतु 5.659 हे 0 (वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।
(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/11141/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार का वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू 0 सी 0 पी 0 / 06/87/2016/एफ 0 सी 0 / 283 दिनांक 31.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार ने अपने कार्यालय पत्र- 2731/12-1 दिनांक- 24/06/2023 से अवगत कराया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं 0 08बी 0 / यू 0 सी 0 पी 0 / 06/87/2016/ एफ 0 सी 0 / 283 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग का दिनांक 13.02.2023 को वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग (पी 0 एम 0 जी 0 एस 0 वाई 0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार) के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 02 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है जिसमें विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 10 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (फोटोग्राफ सलग्न) तत्समय 01 डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गये थे। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है। (फोटोग्राफ सलग्न) मोटर मार्ग पर दो वर्ष पूर्व कार्य पूर्ण हो चुका है.. इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में / साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1927 के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैदान्तिक स्वीकृत को 05 वर्ष पूर्ण होने वाले है जिस कारण विधिवत स्वीकृति यथासमय प्राप्त करना अति आवश्यक है।

I/27796/2023

I/27796/2023

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक:- / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन को उनके सदंर्भित पत्र के क्रम में।

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक:- 2731 / 12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 24/06/2023

सेवा में

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी0 57.00 के (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के निर्माण हेतु 5.659 हे0 (वनभूमि Online Proposal No. (FP/UK/ROAD/11141/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/87/2016/एफ0सी0/283, दिनांक 31.05.2023 .

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/87/2016/एफ0सी0/971 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित टी02 (ओ0डी0आर0) के किमी0 57.00 से मंजोखी मोटर मार्ग क्षेत्र का वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार) के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरंखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 10 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (संलग्न फोटोग्राफ)। तत्समय 01 डम्पिंग जोन में वर्षाकाल में अत्यधिक वर्षा के कारण मलवा आने से डम्पिंग जोन क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (संलग्न फोटोग्राफ)। मोटर मार्ग पर कटिंग का कार्य दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे तथा जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927 में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैदान्तिक स्वीकृत को 5 वर्ष भी शीघ्र पूर्ण होने वाले है जिससे विधिवत् स्वीकृति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना अति आवश्यक है।

अतः महोदय विषयक प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(दिनकर तेवाडी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक 2731 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर,फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(दिनकर तेवाडी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

0/c

**कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।**

Phone : 01382- 224570

Phone : 01382- 229847

Fax : 01382- 229847

Email: ccpmgysykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक:- 492 / पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०, कोटद्वार /

दिनांक 22/06/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग,
लैन्सडौन।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के निर्माण हेतु 5.659 हे० (वनभूमि Online Proposal No. (FP/UK/ROAD/11141/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू०सी०पी०/०६/८७/२०१६/एफ०सी०/२८३, दिनांक ३१.०५.२०२३ एवं प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन का पत्रांक २४१०/१२-१, दिनांक लैन्सडौन ०८.०५.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि पूर्व में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० ०८बी०/यू०सी०पी०/०६/८७/२०१६/ एफ०सी०/९७१ दिनांक ११.१०.२०२२ के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक १३.०२.२०२३ को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित टी०२ (ओ०डी०आर०) के किमी० ५७.०० से मंजोखी मोटर मार्ग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से आप, श्री इन्द्रमोहन कोठारी वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से अधोहस्ताक्षरी, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता, आदि अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य २ वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर १० डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (सलंगन फोटोग्राफ)। तत्समय ०१ डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (सलंगन फोटोग्राफ)। चूँकि मोटर मार्ग पर स्टेज-१/कटिंग का कार्य दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। तथा जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार निर्माण एंजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम १९२७/१९८० के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैधान्तिक स्वीकृत को ५ वर्ष भी शीघ्र पूर्ण होने वाले, जिससे विधिवत् स्वीकृति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना अति आवश्यक है।

कमरा -२

(2)

अतः आपसे अनुरोध है कि सन्दर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार आपत्तियों को निराकरण करते हुये आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे शीघ्र अतिशीघ्र उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०)
कोटद्वार (गढवाल)

पत्राक - / पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० / तदिनांक

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता प्रथम पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० कोटद्वार गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०)
कोटद्वार (गढवाल)।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

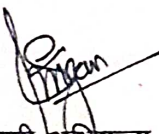
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के निर्माण हेतु 5.659 है० वनभूमि (FP/UK/ROAD/11141/2015) के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/06/87/2016/एफ०सी०/971 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से श्री दिनकर तेवाड़ी प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडॉन, श्री इन्द्रमोहन कोठारी वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार ममगाई अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता, श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता, के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण करना रहा। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा मोटर मार्ग पर 10 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं परन्तु वर्तमान में 01 डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गये हैं तथा मोटर मार्ग के कि०मी० 01, 02, 05 एवं 06 में वर्षाकाल में कुछ स्थानों वर्षा के कारण भू क्षरण हुआ है। जिनसे मानसूनकाल में भू-कटाव के कारण कुछ स्थानों पर मलवा नापभूमि/सिविल भूमि में गया है तथा मानसून अवधि में जो मलवा नाप खेतों/सिविल भूमि में गया है उक्त मलवा पुनः डम्पिंग जोन में डलवाया गया है तथा साइट निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि निर्माण एजेन्सी द्वारा जानबूझ कर पर्यावरण/सम्पदा क्षतिग्रस्त नहीं की गयी है और न ही वन अधिनियम 1980 के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है।

संलग्न:- साइट के फोटोग्राफ


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
कोटद्वार


वन दरोगा


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
कोटद्वार


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
कोटद्वार


वन क्षेत्राधिकारी
(चैलूसैण रेंज)


प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडॉन

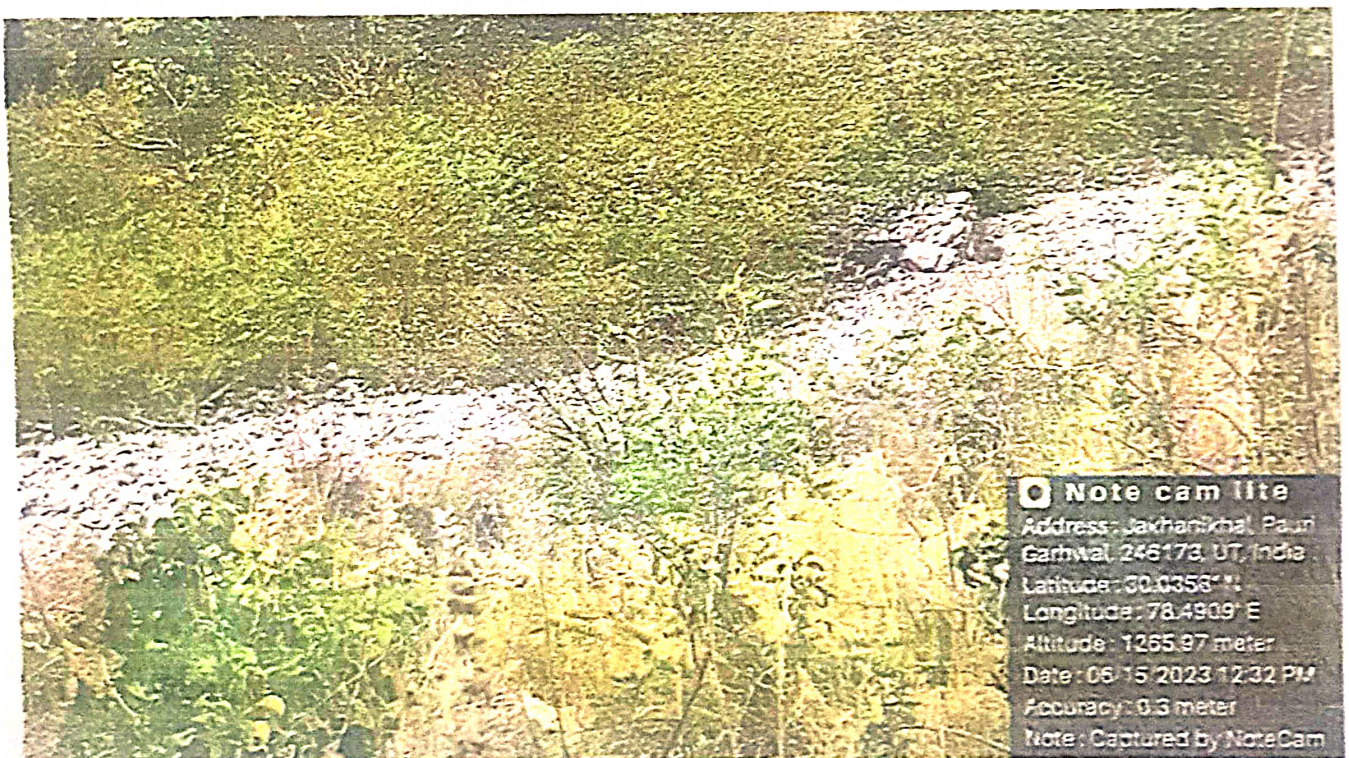
NAME OF WORK: KM 57 of T02 (ODR) to Manjokhi Motor Road,



Note cam lite
Address: --
Latitude: 30.0319° N
Longitude: 78.4882° E
Altitude: 1262.14 meter
Date: 06/15/2023 12:03 PM
Accuracy: 1.29 meter
Note: Captured by NoteCam

DUMPING ZONE

AT CHAINAGE - 0/22-23



Note cam lite
Address: Jakhanihal, Pauri
Garhwal, 246173, UT, India
Latitude: 30.0358° N
Longitude: 78.4909° E
Altitude: 1265.97 meter
Date: 06/15/2023 12:32 PM
Accuracy: 0.3 meter
Note: Captured by NoteCam

DUMPING ZONE

AT CHAINAGE - 1/6-7

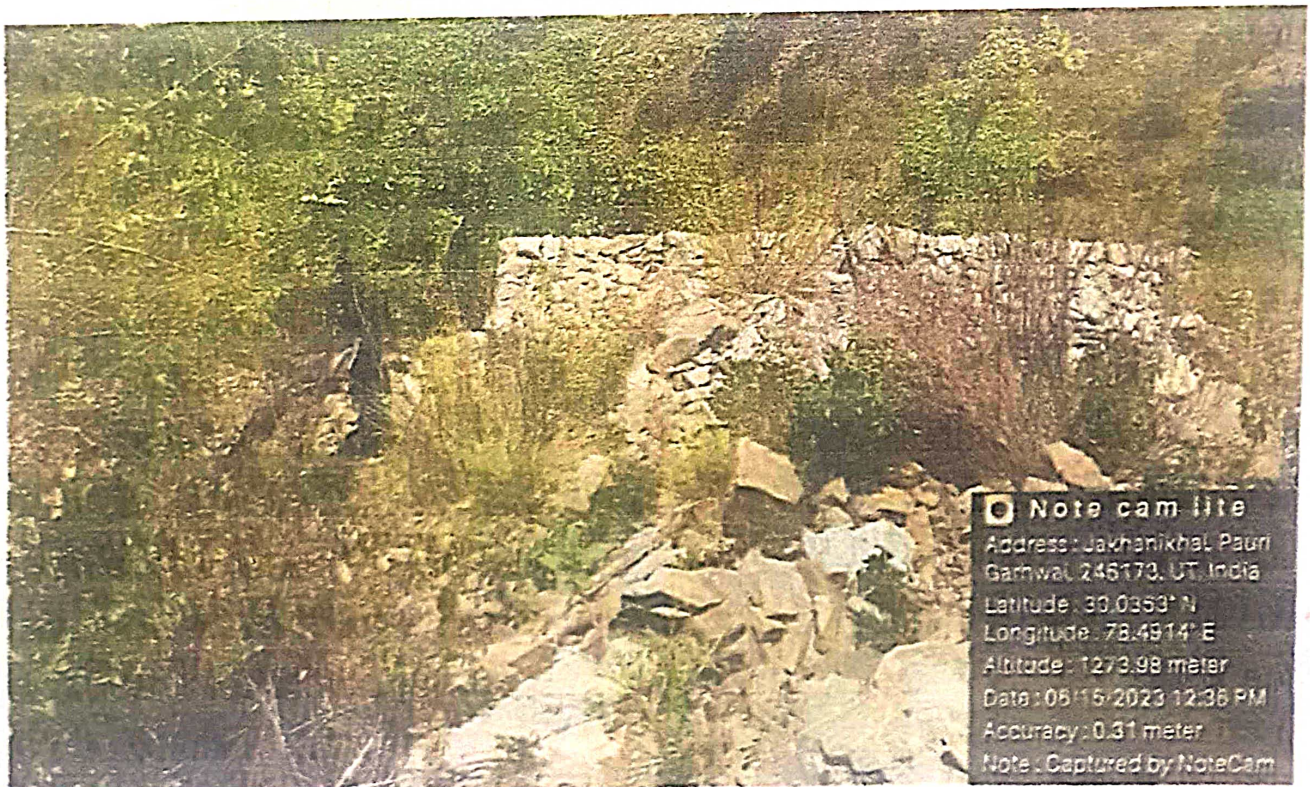
CAF

Yashvir
AET

NAME OF WORK: KM 57 of T02 (ODR) to Manjokhi Motor Road,



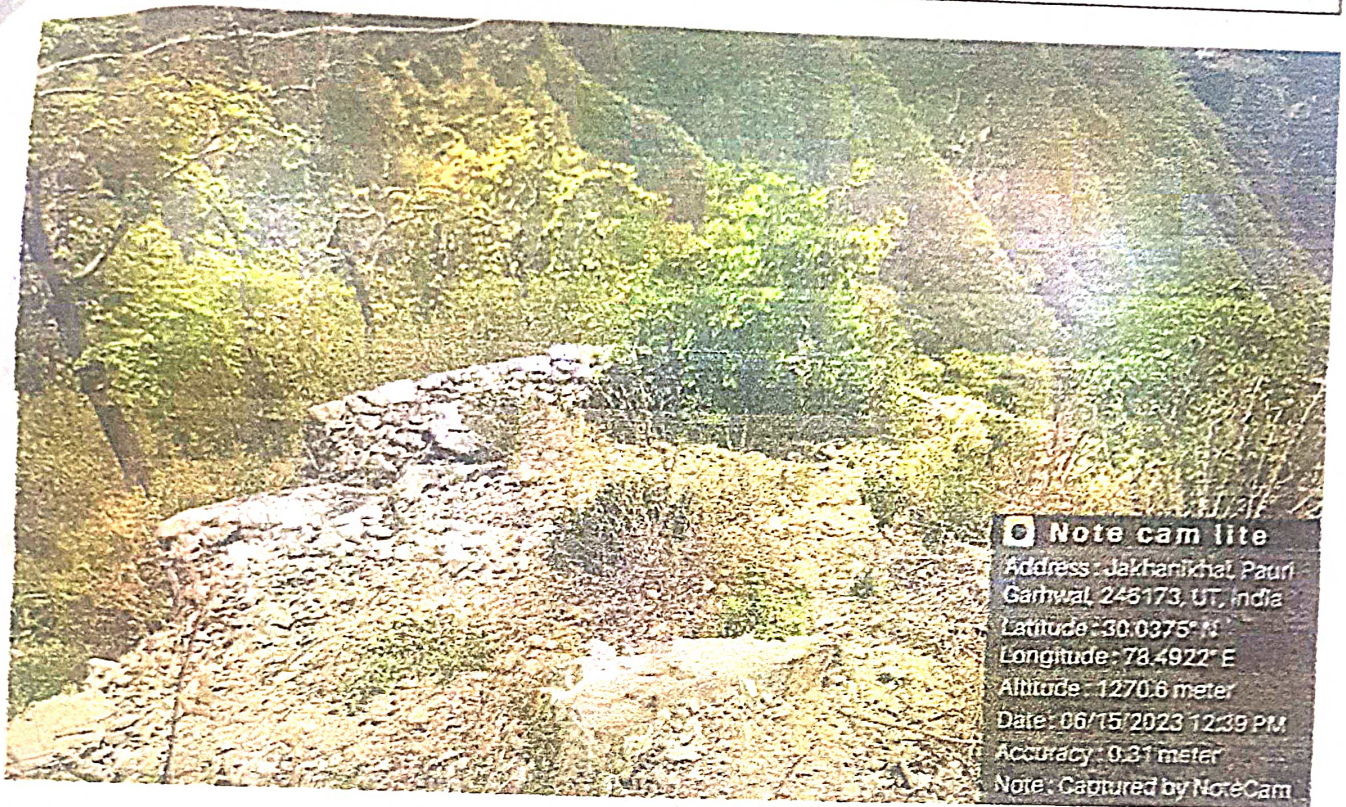
DUMPING ZONE AT CHAINAGE - 1/9-10



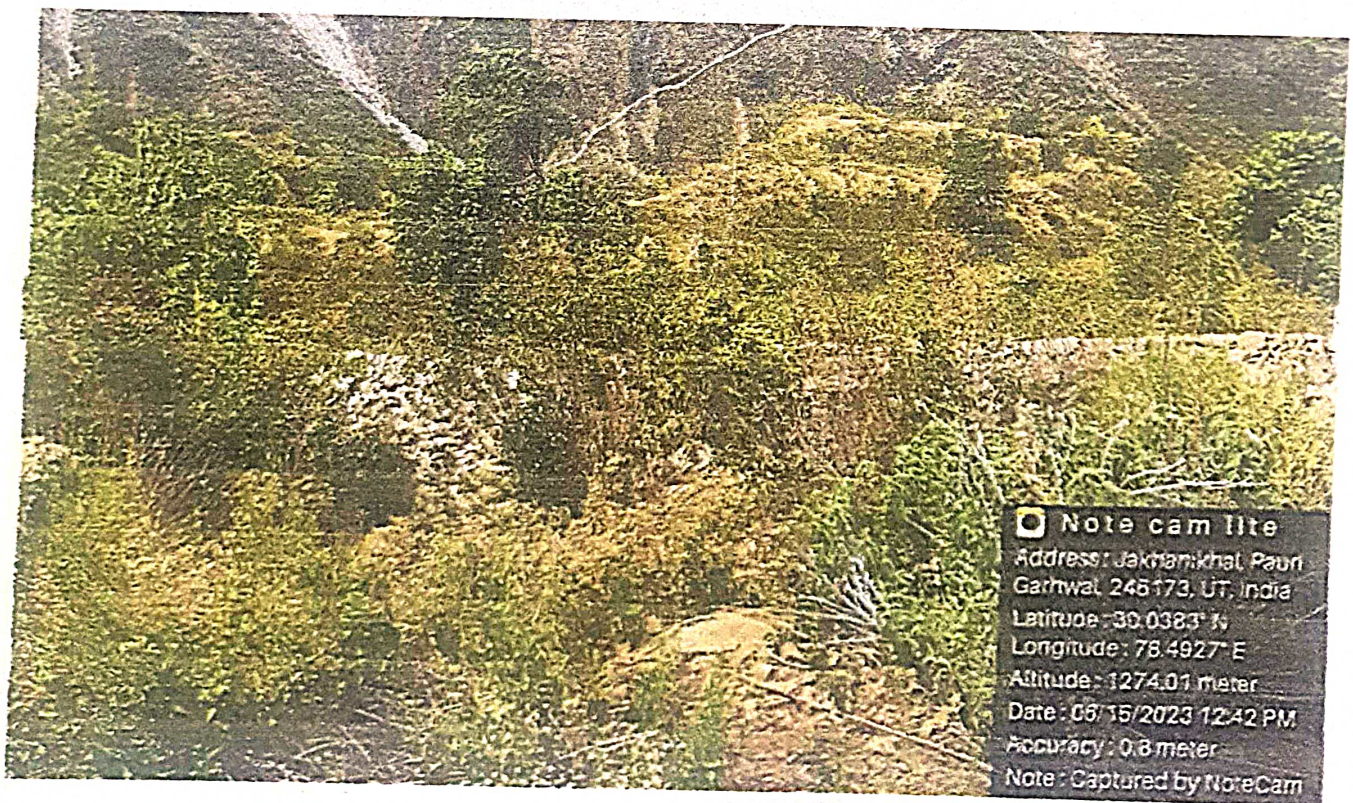
DUMPING ZONE AT CHAINAGE - 1/13-14

manjokhi

NAME OF WORK: KM 57 of T02 (ODR) to Manjokhi Motor Road,



DUMPING ZONE AT CHAINAGE - 1/15-16



DUMPING ZONE AT CHAINAGE - 1/22-23

CLF

Yojingh
AFT

ME OF WORK: KM 57 of T02 (ODR) to Manjokhi Motor Road,



DUMPING ZONE AT CHAINAGE - 1/25-26



AT CHAINAGE-1/34 (DUMPING ZONE)

DAF

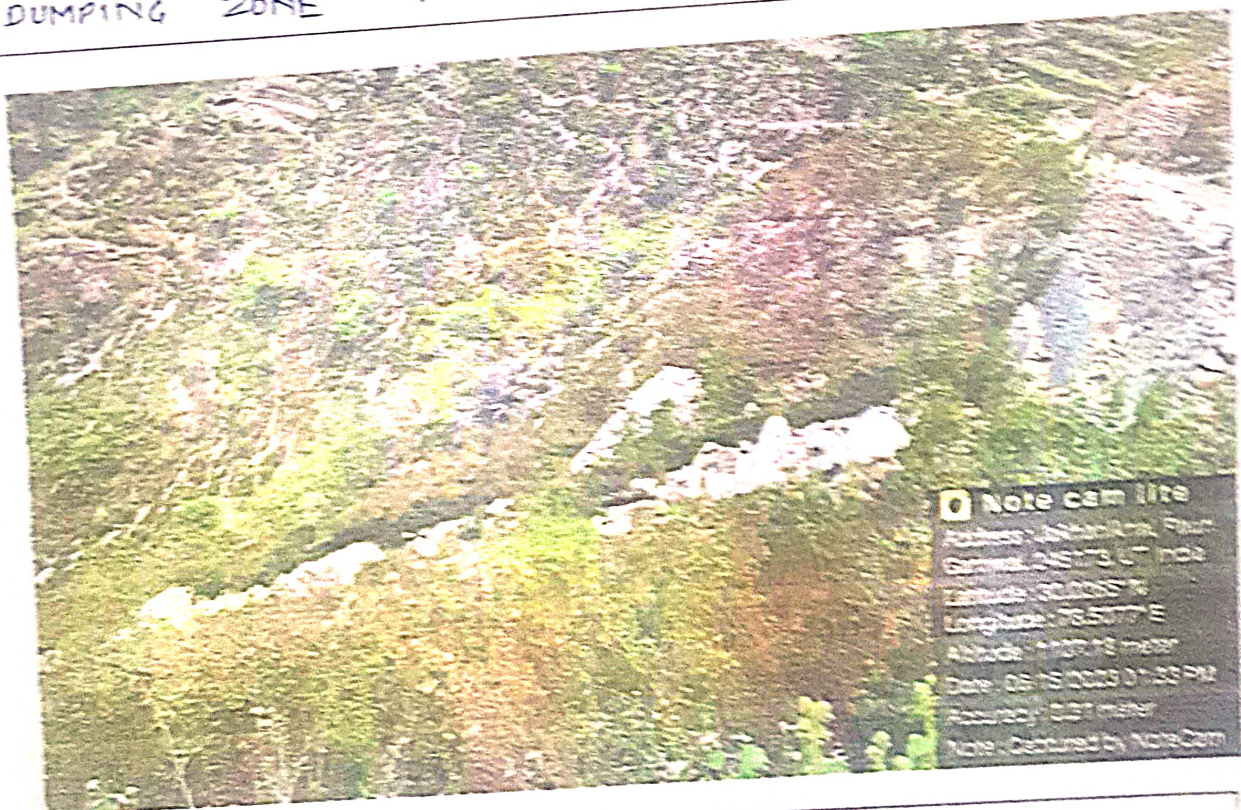
Yog Singh
AET

OF WORK: KM 57 of T02 (ODR) to Manjokhi Motor Road.



Note cam lite
Address: Jharkhand, India
General: 24°57'30" N 76°45'00" E
Latitude: 24.9583° N
Longitude: 76.7500° E
Altitude: 1055.11 meter
Date: 08/15/2023 12:00 PM
Accuracy: 0.5 meter
Note: Captured by NoteCam

DUMPING ZONE AT CHAINAGE - 2/16

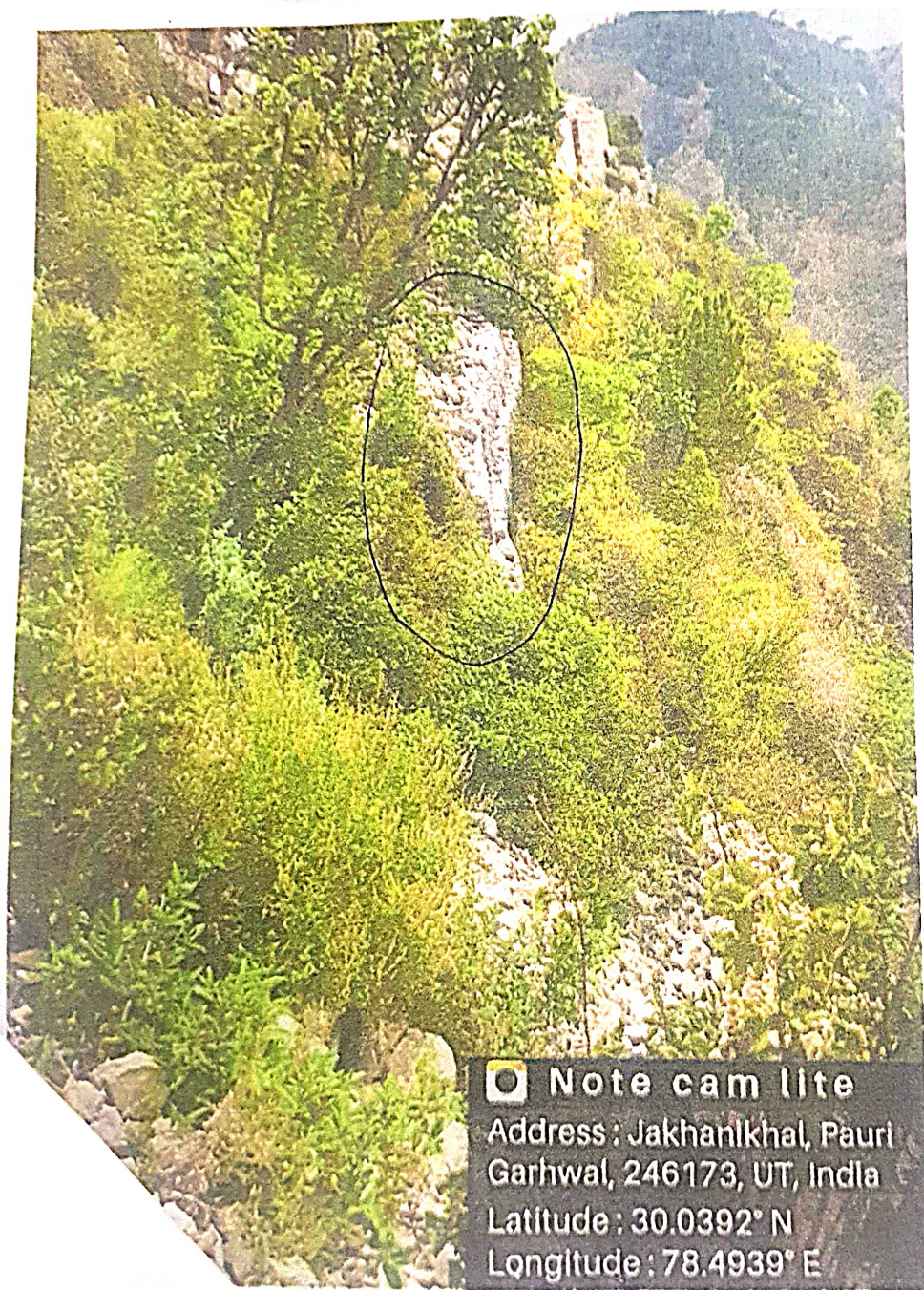


Note cam lite
Address: Jharkhand, India
General: 24°57'30" N 76°45'00" E
Latitude: 24.9583° N
Longitude: 76.7500° E
Altitude: 1055.11 meter
Date: 08/15/2023 01:00 PM
Accuracy: 0.5 meter
Note: Captured by NoteCam

DUMPING ZONE AT CHAINAGE - 7/20-21

OK

Yojing
AG



📷 Note cam lite
Address : Jakhanikhal, Pauri
Garhwal, 246173, UT, India
Latitude : 30.0392° N
Longitude : 78.4939° E

AAE

Yashraj
AGT

RAGE DUMPING ZONE AT KM-1/26-27